न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– ताराचंद पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री रामरतन गोदारा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.11.18

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 28.07.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 11.1.12 को प्रस्तुत किया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 28.02.12 से खारिज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में आर्म्स एक्ट में अपील सं. 36/2012 अनवान ताराचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की गई। इस अपील का निस्तारण दिनांक 02.07.2013 को करते हुए प्रकरण पुनः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि "प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये हुए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में विधि सम्मत निर्णय लेवें।" तत्पश्चात् प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु तलब

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया गया। अपीलांट द्वारा वरवक्त सुनवाई पूर्व में व्यक्त कथनों एवं साक्ष्यों को ही दौहराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू की रिपोर्ट में उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण जेर तजवीज अदालत वाला होना पाया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने शपथ पत्र में गलत बयानी की है तथा आवेदक को जीवन के खतरे से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर जिला कलक्टर, चूरु द्वारा रिमाण्ड अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2015 से खारिज कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.7.15 के विरुध्द यह अपील दिनांक 12.10.15 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । विलम्ब के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा अवगत कराया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.9.15 को हुई, जिसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का लिखित बहस में मुख्य रुप से कथन है कि अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि आवेदक के जीवन पर खतरा होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में तथ्य छिपाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों आधारों पर ही अपीलांट का आवेदन पत्र गलत रूप से निरस्त किया है। किसी भी व्यक्ति को उक्त दोनों आधारों पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने से मना नहीं किया जा सकता। आवेदक के जीवन पर खतरा है या नहीं, इस बाबत ना तो कोई रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई है। उक्त संबंध में रिपोर्ट ना मांगे जाने के कारण इस बात की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं आई, लेकिन अपीलांट ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह फाईनेन्स का कार्य करता है, जिस कारण उसको रूपये लेकर इधर–उधर आना–जाना पड़ता है। अपीलान्ट का व्यवसाय ऐसा है, जिसमें हर वक्त जीवन को खतरा बना रहता है । बहस में यह भी कथन अंकित किया है कि अपीलांट ने शपथ पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपाये हैं। अपीलांट ने अपने शपथ पत्र में किसी भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र दिया है। साथ ही जिस मुकदमे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में अपीलांट के विरूद्ध चालान होना बतलाया गया है, जिस वक्त अपीलांट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस वक्त उक्त मामले में अन्वेषण के दौरान अपीलांट को मुल्जिम नहीं माना था। केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट के विरूद्ध कोई मामला विचाराधीन है। साथ ही उक्त मामला ऐसा नहीं था जिसके आधार पर अपीलांट को हथियार का लाईसेंस देने से मना किया जा सके। अपीलांट ने अपने शपथ पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं छिपाया है, जिसकी वजह से अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने से मना किया जा सकता हो। अपीलांट के विरूद्ध जो मुकदमा है वह ना तो कोई हिंसा से संबंधित है और ना ही नैतिक अवचार से संबंधित है, जिसके आधार पर अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सके। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह तथ्य भी आया है कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने में प्रतिबंधित नहीं करती है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी विभाग तथा कार्यालय की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसके आधार पर अपीलांट के आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपीलान्ट ने यह अंकित किया है कि उसके खिलाफ कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है । जबकि पुलिस विभाग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि अपीलान्ट के विरुध्द मुकदमा नं0 153/03.6.08 दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा केन्द्रीय गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 9.4.10 से जारी निर्देश के बिन्दु सं0 11ए के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदक के जीवन के खतरे से सम्बन्धित रिपोर्ट आवश्यक है, किन्तु पुलिस रिपोर्ट में आवेदक के जीवन पर खतरा होने सम्बन्धी कोई टिप्पणी अंकित नहीं है । इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलान्ट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 11.1.12 को आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक चूरु की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.1.12 में अपीलान्ट के विरुध्द एक अपराधिक मुकदमा सं0 153 दिनांक 3.6.2008 अन्तर्गत धारा 420,467,468,120बी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आईपीसी में दर्ज होकर दिनांक 5.2.10 को न्यायालय में चालान पेश कर जेर तजबीज अदालत बताया । जिला मजिस्ट्रेट, चूरु ने पुलिस अधीक्षक, चूरु की रिपोर्ट दिनांक 27.1.12 में उल्लेखित मुकदमा को आधार मानते हुए आदेश दिनांक 28.2.2012 द्वारा अपीलान्ट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील सं0 36/2012 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 2.7.2013 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गयी गयी थी कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत निर्णय लेवें। उक्त रिमाण्ड आदेश कीं पालना में जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 60/2013 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.7.15 पारित कर रिमाण्ड अपील खारिज कर दी गयी, जिसके विरुध्द इस न्यायालय में पुनः यह अपील पेश हुई है ।

7. जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा अपीलार्थी की रिमाण्ड अपील खारिज करने में प्रथम आधार यह लिया है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्र में उनके विरुध्द विचाराधीन फौजदारी प्रकरण के वास्तविक तथ्य को छुपाया गया है । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट के विरूद्ध कोई मामला विचाराधीन है। हम अभिभाषक अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं है क्यों कि अपीलांट द्वारा नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिनांक 11.1.12 को आवेदन किया गया है, जिसके साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपीलान्ट ने यह अंकित किया है कि उसके खिलाफ कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जबकि आवेदक के विरुध्द दर्ज हुए मुकदमा में बाद तफतीश दिनांक 5.2.10 को सक्षम न्यायालय में चालाना प्रस्तुत किया जा चुका था । इस प्रकार आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्र में फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के वास्तविक तथ्य को छुपाया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आधार से सहमत हैं ।

8. जिला मजिस्ट्र, चूरु ने रिमाण्ड अपील खारिज करने में द्वितीय आधार यह लिया है कि आवेदक के जीवन को किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है । हम जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के उक्त आधार से सहमत हैं क्योंकि भारत सरकार के दिनांक 9.4.10 से जारी निर्देश सं0 11ए अनुसार शस्त्र शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदक के जीवन के खतरे से सम्बन्धित रिपोर्ट आवश्यक है । जबकि जिला पुलिस अधीक्षक चूरु ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक के जीवन पर खतरा होने से सम्बन्धित कोई टिप्पणी नहीं की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट चूरु ने रिमाण्ड अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.15 पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.15 यथावत रखा जाता है ।

10. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.11.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर